



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक-2666 / परीक्षा./2024

दिनांक-25.07.2024

परीक्षा संचालन सम्बन्धी व्यवस्था हेतु केन्द्राध्यक्षों को निर्देश

1. सभी परीक्षा केन्द्रों के अनुमोदित/नियमित प्राचार्य ही उनके केन्द्राध्यक्ष होंगे।
2. सभी केन्द्राध्यक्षों के प्रत्येक पाली में उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों का विवरण विश्वविद्यालय पोर्टल पर परीक्षा समाप्ति के आधे घण्टे पूर्व प्रत्येक दशा में अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे अनुपस्थित छात्रों की संख्या शासन को भेजी जा सकें।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिणियमावली अध्यादेश एवं निर्णयों के तहत अनुचित साधन की कार्यवाही की जाय। यदि कोई परीक्षार्थी, ड्यूटी कर रहे किसी कक्ष निरीक्षक/उड़ाकादल/केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक को डराने, धमकाने आदि का कृत्य करता है तो, ऐसे परीक्षार्थियों के विरुद्ध अनुचित साधन की कार्यवाही के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही की जाय।
4. परीक्षा प्रश्नपत्र सी0सी0टी0वी0 कैमरा (वायस रिकार्डर के साथ) की निगरानी में केन्द्राध्यक्ष व दो कक्ष निरीक्षकों के हस्ताक्षर के उपरान्त ही खोला जाय।
5. परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल की पुष्टि होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित कर दिया जायेगा, तथा सम्बन्धित विषय की परीक्षा निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ उक्त महाविद्यालय के केन्द्राध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
6. परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरो की संख्या एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहाँ कक्ष/हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूम से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे में वायस रिकार्डर लगा होना अनिवार्य है।
7. परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु आपके जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक से परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा बल हेतु निवेदन किया जा चुका है। आप अपने स्तर से भी जिला अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/संबन्धित थानाध्यक्ष से सुरक्षा बल प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर लें।
8. परीक्षा अवधि की सी0सी0टी0वी0 रिकार्डिंग (वायस रिकार्डिंग के साथ) संरक्षित रखी जाय, आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी तिथि की एवं किसी भी पाली की सी0सी0टी0वी0 रिकार्डिंग(वायस रिकार्डर के साथ) मॉगी जा सकती है, और महाविद्यालय को उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। सी0सी0टी0वी0 कैमरे के सामने ही छात्र/छात्राओं की परीक्षा कराया जाय। छात्र/छात्राएँ परीक्षा के दौरान ऐसे बैठाये जायं जिससे उनका चेहरा स्पष्ट दिखे।
9. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने से आधे घण्टे पूर्व गेट खोला जाय तथा गेट पर ही परीक्षार्थियों की तलाशी करा ली जाय कि कहीं उनके पास कोई अवैध सामग्री तो नहीं है। परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित न कराया जाय, तथा किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल, लैपटाप अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों एवं अनाधिकृत सामग्री आदि को लेकर प्रवेश वर्जित है।
10. परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए-4 साईज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा-नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्येक पाली में चस्पा किया जाय।
11. विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दल के संयोजक/सदस्यों एवं पर्यवेक्षक के परीक्षा केन्द्र निरीक्षण में सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

12. पी-07 पर उत्तर पुस्तिका कमांक अवश्य अंकित किया जाय। समस्त प्रपत्र सही तरह भरा जाय।
13. जिन उत्तरपुस्तिकाओं के कमांक अपठनीय हों ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्राध्यक्ष/कक्ष परिप्रेक्षक परीक्षार्थियों को वितरित करने से पूर्व अलग रख दें, उन्हें परीक्षार्थियों को वितरित न करे। परीक्षार्थी भी ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को प्रयोग करने के पूर्व ही कक्ष परिप्रेक्षक को वापस कर दें।
14. परीक्षा केन्द्र वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग परीक्षा समाप्ति के पश्चात् कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सकता है।
15. जिस कमरे में उत्तर पुस्तिकाओं की बण्डलिंग होनी है, उस कमरे में भी कैमरा लगाया जाना है तथा परीक्षा अवधि की सी0सी0टी0वी0 रिकार्डिंग (वायस रिकार्डर के साथ) संरक्षित रखी जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अवधि के बाद बण्डलिंग पैकिंग की भी किसी भी तिथि की एवं किसी भी पाली की सी0सी0टी0वी0 रिकार्डिंग माँगी जा सकती है।
16. केन्द्राध्यक्षों/संकलन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा प्रतिदिन परीक्षार्थियों द्वारा उपयोग की गयी उत्तर पुस्तिकायें कक्षावार/प्रश्नपत्रवार/तिथिवार/पालीवार सफेद कपड़े में सील्ड कराकर केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित सेमेस्टर की पालियों के पैकेट्स/बण्डल एक साथ उसी तिथि को सायं 07:30 बजे तक जमा किये/कराये जायेंगे। यदि किसी परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा संकलन केन्द्र पर उक्त तिथि/समय तक उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट्स/बण्डल जमा नहीं किये जाते हैं तो संकलन केन्द्र के प्रभारियों द्वारा इसकी सूचना उसी तिथि को कण्ट्रोल रूम एवं विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की जायेगी जिससे कि तत्काल कार्यवाही की जा सके। सील्ड पैकेट्स/बण्डल पर जनपद का नाम, परीक्षा केन्द्र का कोड/नाम एवं परीक्षा तिथि/पाली का स्पष्ट विवरण अवश्य अंकित किया जाय। परीक्षा समाप्ति के बाद केन्द्राध्यक्ष द्वारा सत्यापित प-7 एवं प-6 सील्ड लिफाफे में विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग को तीन दिन के अन्दर अवश्य प्राप्त करा दिया जाय। उत्तर पुस्तिका विवरण एवं अवशेष उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय (स्टोर अनुभाग) को उपलब्ध न कराने पर परीक्षा केन्द्र को डिबार कर दिया जायेगा तथा कांटीजेन्सी का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इसके साथ ही अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
17. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व 250-250 की संख्या में सादी उत्तर पुस्तिकाएँ सील्ड बोरे में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र को प्राप्त करायी जायेगी। पूरी परीक्षा समाप्त होने के बाद शेष बची हुई सादी उत्तर पुस्तिकायें एवं निरस्त की गयी उत्तर पुस्तिकायें कम संख्या एवं पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के स्टोर विभाग को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य वापस प्राप्त करा दिया जाय।
18. परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्ति की गयी उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा, प्रयोग एवं वापसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य की होगी।
19. परीक्षा के दौरान महाविद्यालय के प्रबन्धक परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहेंगे।
20. जिस प्राध्यापक/कर्मचारी के पाल्य उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनकी परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी। प्राध्यापक/कर्मचारी की भी जिम्मेदारी होगी कि इस आशय की सूचना केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य को स्वयं दें।
21. परीक्षा केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये विद्यार्थियों की दोनों उत्तर पुस्तिकायें (प्रथम उत्तर पुस्तिका तथा निर्गत की गयी दूसरी उत्तर पुस्तिका) विषयवार/प्रश्नपत्रवार लाल कपड़े में सील्ड करके उक्त पैकेट को पूर्ण विवरण के साथ अलग से उसी दिन अन्य उत्तर पुस्तिकाओं के साथ संकलन केन्द्र को अवश्य प्राप्त करा दिया जाय।
22. परीक्षा अवधि में कोई भी प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना तथा प्राध्यापक/कर्मचारी प्राचार्य की अनुमति के बिना मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा तथा परीक्षा के समय में परीक्षा ड्यूटी में लगे लोगों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश परीक्षा केन्द्र में वर्जित होगा।

23. उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बण्डल पर जनपद, परीक्षा केन्द्र एवं उसका कोड संख्या (बड़े अक्षरों में) अंकित होगा।
 24. वैकल्पिक विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट कैच संख्या के अनुसार अलग-अलग तैयार किए जायें तथा पैकेट के ऊपर कैच संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।
 25. जिन परीक्षा केन्द्रों पर एक से अधिक महाविद्यालय सम्बद्ध हैं उन केन्द्रों पर छात्र/छात्राओं को मिश्रित रूप में परीक्षा कक्ष में बैठाया जाय।
 26. जिन परीक्षा केन्द्रों में छात्रायें परीक्षा दे रही हो उन केन्द्रों पर आन्तरिक उड़ाका दल में चेंकिंग हेतु एक महिला सदस्य की अवश्य ड्यूटी लगायी जाय।
 27. केन्द्राध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा अवधि में ड्यूटी पर लगाये गये शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पास उनका परिचय पत्र हो और उसे परीक्षा अवधि में अपने पास अवश्य रखे।
 28. विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्राध्यक्षों को जारी परिचय-पत्र केन्द्राध्यक्ष परीक्षा अवधि में अवश्य धारण किये रहेंगे। उड़ाकादल/पर्यवेक्षक के मांगने पर दर्शित करेंगे।
 29. परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र का गेट खुला रखा जाय। उड़ाका दल, पर्यवेक्षक के आगमन एवं वापसी पर कोई रुकावट पैदा नहीं की जायेगी।
 30. केन्द्राध्यक्ष परीक्षा में व्यवस्था हेतु नीचे दी गयी संख्या के अनुसार सहयोग के लिए सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को पूर्व में दे। परीक्षा समाप्ति के एक माह के अन्दर परीक्षा ड्यूटी का पावना पत्र एवं केन्द्र व्यय का समायोजन विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यालय में अवश्व प्राप्त करा दिया जाय।
- (क) 01 से 500 तक कुल परीक्षार्थी पर दो सहायक केन्द्राध्यक्ष।
- (ख) 501 से 1000 तक कुल परीक्षार्थी पर तीन सहायक केन्द्राध्यक्ष।

नोट—उत्तर पुस्तिका का बण्डल किसी भी दशा में कागज के लिफाफे में नहीं बनाया जायेगा।

31. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष प्रतिपाली की निम्न प्रारूप पर वांछित अपेक्षित सूचनायें अपने नोडल केन्द्र को तथा विश्वविद्यालय के ई-मेल आईडी examcontroller1849@gmail.com पर सूचना प्रेषित करेंगे, इस हेतु परीक्षा केन्द्र प्रभारी अपना एक वाट्सअप नं० भी विश्वविद्यालय कन्ट्रोल रूम को सूचित करेंगे। उपस्थित एवं अनुपस्थित छात्र/छात्राओं की संख्या तथा यू०एफ०एम० में निरूद्ध छात्र/छात्राओं की संख्या अपने नोडल केन्द्र को लिखित रूप में देंगे तथा इस हेतु एक वाट्सएप ग्रुप पर भी सूचना प्रेषित करेंगे।

महाविद्यालय का नाम—

परीक्षार्थियों की संख्या			अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या			अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही विषयवार				अभ्युक्ति
1			2			3				4
छात्र	छात्रार्थी	कुल	छात्र	छात्रार्थी	कुल	छात्र	छात्रार्थी	कुल	कार्यवाही	

हस्ताक्षर


नाम

पदनाम


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि —निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव कुलपति को, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. कुलसचिव।
4. सम्बन्धित प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय जौनपुर।
5. समस्त केन्द्राध्यक्ष, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय जौनपुर।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय, वेब मास्टर, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय।
8. प्रभारी मीडिया सेल।
9. प्रभारी, यू०एफ०एम०सेल/कण्ट्रोल रुम।
10. प्रभारी, सी०सी०टी०वी० कण्ट्रोल रुम।
11. नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु।


उप कुलसचिव
(परीक्षा)